बख्तियार हुसैन मृतक जरिए एल आर एस

बनाम

हाफिज खांन व ओ आर एस

24 सितम्बर 2007

डॉ अरीजित पासायत और डी के जैन, जे. जे,

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908- धारा 100 -दावा बाबत स्वामित्व - प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपने स्वामित्व को साबित करने का दावा- दावा डिक्री किया गया कि अनुमति थी- पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टी की गई- दूसरी अपील- विधि का सारभूत प्रश्न तैयार किया गया कि क्या अनुमति के आधार पर प्रतिवादी द्वारा भू राजस्व अधिनियम के तहत भू स्वामी के अधिकार अर्जित किए गए- उच्च न्यायालय ने विधि के सारभूत प्रश्न का उत्तर देने वाली डिक्री को अपास्त करते हुए निष्कर्ष दिया कि विधि का सारभूत प्रश्न गलत तरीके से तैयार किया गया क्योंकि प्रतिकूल आधिपत्य का बिंदु उसी मामले से उत्पन्न नहीं हुआ था- दूसरी अपील केवल तभी पोषणीय है जब विधि का सारभूत प्रश्न अंतर्वलित हो- यह विचार करने के लिए कि क्या विधि का कोई सारभूत प्रश्न उत्पन्न हुआ है मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया- मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 168 व 169

अपीलार्थी-वादी का दावा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आधार पर डिक्री व पुष्ट किया गया कि प्रतिवादी-प्रत्यर्थी वादग्रस्त भूमि के अनुमत कब्जे में थे और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से अपना स्वामित्व साबित किया है। दूसरी अपील में विधि का सारभूत प्रश्न इस संबंध में तैयार किया गया कि क्या प्रतिवादीगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 168 के तहत भू स्वामी अधिकार का अधिग्रहण किया था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि प्रतिवादीगण ने अधिभोग काश्तकार का अधिकार अधिग्रहित कर लिया था, इस लिए बेदखली के लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकी।

इस न्यायालय में अपील करते हुए अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 168 के तहत अधिकारों के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस संबंध में कोई विवाद्यक विरचित नहीं किया गया था।

आन्शिक रूप से अपील स्वीकार की गई और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

न्यायालय ने निष्कर्ष दियाः-

अभिनिर्धारितः

1.यह विवादित नहीं था कि प्रतिवादीगण के आधिपत्य की स्थिति पटट्रे या अन्यथा से संबंधित थी। मुख्य विवाद प्रतिकूल आधिपत्य से

संबंधित था। निष्पादित किए जाने वाले पटट् के संबंध में कोई विवाद नहीं था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि एक बार भू स्वामी की अनुमति से वादग्रस्त भूमि को जोता जाना माना जाता है, तब मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 168 की भाषा के प्रावधानानुसार पटट् से अभिप्राय एक निश्चित समय के लिए अधिभोग करने का हस्तांतरण है, प्रश्न पर उस अनुसार विचार किया जाना चाहिए। धारा 169 के मापदंड धारा 168 की तुलना में अलग है। इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से विधि का सारभूत प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ, इन परिस्थिति में आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। पैरा [6,7 व 8] [269 -बी, इ; एफ 271 - इ - एफ]

2. धारा 100 सीपीसी के तहत अपील तभी पोषणीय जब विधि का सारभूत प्रश्न अंतर्वलित हो। उच्च न्यायालय मामले की पुनः सुनवाई करेगा और विचार करेगा कि क्या विधि का कोई सारभूत प्रश्न उत्पन्न होता है जिसकी न्याय निर्णयन मे आवश्यकता है और अपील को उसी अनुसार निर्णित करेगा।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय:- सिविल अपील संख्या 497-498/2001

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.1999 ग्वालियर पीठ द्वितीय अपील संख्या 180 (1993)

बी एस बनीथा- अपीलार्थी की ओर से

एस एस खांडूजा- प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय जिनके द्वारा दिया गया- डॉ अरीजित पासायत जे

(1) इन अपीलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा द्वितीय अपील संख्या 180 (1993) में दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई। अपीलार्थी वादी ने विवादित भूमि के संबंध में स्वामित्व की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा दायर किया था। वादी ने भूमि का भूस्वामी होने का दावा किया। उसके अनुसार मृतक नन्नु खा व उसके पुत्र हाफिज खांन प्रत्यर्थी संख्या-1 ने 01.07.1970 को जबरन भूमि पर कब्जा प्राप्त किया और उसे उसके अधिकारो से वंचित कर दिया। उसके अनुसार प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य बनाए रखने का अधिकार व हित नहीं था, इसलिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादीगण ने संयुक्त जवाब दावा पेश किया तथा वादी के स्वामित्व से इंकार किया और तर्क दिया कि वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना अधिकार छोड दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना स्वामित्व प्रमाणित किया था। वादी 20 साल से अधिक समय से भोपाल में रहता था और वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्रतिवादीगण के पास होने की वादी को पूर्ण जानकारी 1962 से थी। उनका आधिपत्य भूमि पर 12 वर्षो से अधिक समय से था दावा परिसीमा अवधि से बाहर था। विचारण न्यायालय ने

निष्कर्ष दिया कि प्रतिवादीगण का आधिपत्य प्रतिकूल नहीं है लेकिन वो वादग्रस्त भूमि में अनुमत आधिपत्य में है। इसलिए वादी को डिक्री का हकदार माना गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि वादग्रस्त भूमि वादी की अनुमति से प्रतिवादी के आधिपत्य में है। यह निष्कर्ष दिया कि प्रतिवादी अपना प्रतिकूल आधिपत्य साबित करने में असफल रहे है। तदनुसार विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गई।

(2) प्रत्यर्थी ने धारा 100 सीपीसी के तहत द्वितीय अपील दायर की। निम्नलिखित प्रश्न विधि के सारभूत प्रश्न के लिए न्यायनिर्णयन उत्पन्न हुआ कि क्या यह निष्कर्ष कि प्रतिवादीगण वादी की अनुमति के साथ वादग्रस्त भूमि पर दावा दायर करने की तिथि से 6 वर्ष से अधिक समय तक काश्त कर रहे थे, प्रतिवादीगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 168 के तहत भू स्वामी के अधिकार प्राप्त किए है।

(3) उच्च न्यायालय के अनुसार एकमात्र प्रश्न शेष रहा कि क्या प्रकरण में प्रतिवादीगण का आधिपत्य पटट्े या अन्यथा के माध्यम से था। साक्ष्यों को अभिलेख पर लेकर विश्लेशषण किया जाकर यह निष्कर्ष दिया कि प्रतिवादीगण ने अधिभोग काश्तकार का अधिकार प्राप्त कर लिया और इसलिए बेदखली के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम (संक्षेप में संहिता) की धारा 168 के तहत अधिकारों के किसी भी उपयोग या किसी भी अधिकार के लिए कोई विवाद नहीं था।

(5) न्यायालय के समक्ष एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ है। प्रत्यर्थी के विद्‍्‍वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दर्ज किए गए निष्कर्षा को देखते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है

(6) यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मृतक का पुत्र था, इसलिए धारा 169 के तहत भू स्वामी था, लेकिन यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह विवाद नहीं था कि आधिपत्य की स्थित पटट्‍ या अन्यथा से संबंधित थी। विवाद्यक निम्नानुसार तैयार किए गएः-

अ. क्या वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वामित्व है।

ब. क्या प्रतिवादीगण ने 01.07.1970 को वादी को बेदखल किया और अवैध आधिपत्य प्राप्त किया।

स. क्या वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है और यदि है तो उसकी राषि।

द. क्या प्रतिवादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त किया है।

य. अनुतोष तथा व्यय।

(7) जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है कि मुख्य विवाद विवादक संख्या 4 था, जो प्रतिकूल कब्जे से संबंधित है। पटटा निष्पादित किए जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि एक बार भू स्वामी की अनुमति से वादग्रस्त भूमि को जोता जाना मान लिया जाता है, तब मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 168 के प्रावाधानानुसार पटट् से अभिप्राय एक निश्चित समय के लिए किसी भूमि का अधिभोग करने का हस्तांतरण है, प्रश्न पर उसी अनुसार विचार किया जाना चाहिए। धारा 168 व 169 को निम्नानुसार पढा जाता हैः-

पटटा- उन मामलों के सिवाय जिनके लिए उपधारा (2) में उपबंध किया गया है, कोई भी भू-स्वामी उसके खाते में समाविष्ट किसी भूमि को 3 वर्ष की किसी क्रमवर्ती कालावधि के दौरान एक वर्ष से अधिक समय के लिए पटट् पर नहीं देगाः-

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी भूमि के ऐसे पटट् पर नहीं लागू होगी जो-

(एक)-भू स्वामी द्वारा ऐसी रजिस्टीकृत कृषि सोसायटी को दिया गया हो जिसका कि वह सदस्य है

(दो)- भू स्वामी द्वारा कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित हो

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) पटटा से अभिप्रेत है किसी भूमि का उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए, किसी कीमत के जो दी हो, या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या किसी अन्य मूल्यांकन वस्तु के, जो कालावधिय रूप से अंतरिती द्वारा, जो उस अंतरण को ऐसे निंबंधनों पर प्रतिग्रहित करता है अंतरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप मे किया गया हो;

(ख) किसी ऐसे ठहराव को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति (पटट्‌ेदार) अपने बैलों से या अपने द्वारा उपाप्त बैलों से और उसके द्वारा भू स्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंष देने की शर्त पर भू स्वामी की किसी भूमि पर खेती करना है पटटा समझा जाएगा;

(ग) केवल पास काटने या पशु चराने या सिंघाडा उगाने या लाख का प्रजनन या संग्रहण करने या तेंदु पत्ते तोडने या उनके संग्रहण करने के अधिकार का दिया जाना भूमि या पटटा नहीं समझा जाएगा।

(2) भू स्वामी जो-

एक- विधवा है या,

दो- अविवाहित स्त्री है या,

तीन- ऐसी विवाहित स्त्री है जिसे पति ने त्याग दिया है या,

चार- अव्यस्कता है या,

पांच- ऐसा व्यक्ति है जो वृद्धावस्था के कारण या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से निशक्त हो गया है या,

छह- ऐसा व्यक्ति है जा किसी विधि आदेषिका के अधीन निरूद्ध है या कारावासित है या,

सात- ऐसा व्यक्ति है जो संघ के साथ सशक्त बल की सेवा में है,

आठ- सार्वजनिक पूर्व या धार्मिक संस्था है या,

नौ- स्थानीय प्राधिकारी या सहकारी सोसायटी है,

`अपना संपूर्ण खाता या उसका कोई भाग पटट् पर दे सकेगा,

परंतु जहा कोई खाता एक से अधिक व्यक्त्यिों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है, वहा इस धारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक ऐसे समस्त व्यक्ति पूर्वोक्त वर्गा में किसी एक या अधिक वर्गो कें ना हो,

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अनुसरण मे दिया गया कोई भी पटटा मृत्यु हो जाने से या अन्य प्रकार से निशक्ता समाप्त हो जाने के एक वर्ष पश्चात प्रवर्त नहीं रहेगा।

3. XXX

4. जहा पटटा उपधारा (2) के अनुसरण में दिया जाता है वहा पटट्दार उस भूमि के ऐसे निबंधनों या शर्तो मे धारण करेगा कि उसके

तथा भू स्वामी के बीच करार पाई जावे और उस दषा में उपखण्ड अधिकारी के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकेगा, जबकि भू स्वामी ने इस आधार पर आवेदन किया हो कि उस पटट् के किसी तात्विक निबंधन या शर्त का उल्लंघन हुआ है या इस आधार पर आवेदन किया हो कि पटटा प्रवर्त नहीं रहा है।

5. जहां इस संहिता के प्रवर्त होने के समय कोई भूमि किसी ऐसे भू स्वामी के जो उपधारा (2) में वर्णित वर्गो में से किसी वर्ग का या एक से अधिक वर्ग का है पटट् पर धारित है, वहा इस संहिता के प्रवर्त होने पर पटट् के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा दो के अनुसरण में दिया गया पटटा है।

धारा 169- अनाधिकृत पटटा - यदि कोई भूस्वामी अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि को धारा 168 के उपबंध में किसी कालावधि के लिए पटट् पर देता है तो अधिभोग काश्तकार का अधिकार ऐसी भूमि में पटट् के माध्यम से उत्पन्न होगा।

8. धारा 169 के मापदण्ड धारा 168 से अलग है। इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं था। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से विधि का कोई सारभूत प्रश्न उत्पन्न नही हुआ। ऐसी परिस्थितियों में आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता और अपास्त किया जाता है। हम उच्च न्यायालय से मामले की पुनः सुनवाई का अनुरोध करते है और न्यायालय

इस बात पर विचार करे कि क्या विधि का सारभूत प्रश्न उत्पन्न होता है जिसकी न्याय निर्णयन के लिए आवश्यकता है तथा जिसके आधार पर अपील में निर्णय होना है। यहा यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 100 सीपीसी केवल तभी पोषणीय है जब विधि का सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है।

9. बिना किसी आदेश व बिना किसी व्यय के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की आन्शिक रूप से अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. सुरभि सिंह, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।